रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274147
CG-DL-E-04072026-274147

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3436] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948
No. 3436] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

का.आ. 3571(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2963 (अ), दिनांक 9 जून 2026 द्वारा, केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य में संपूण राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 338 और 383 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाएगा) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाएगा), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 338, 36, 383 के मेलूर-तिरुप्पत्तूर-कराइकुडी खंड के डिज़ाइन किमी 0+000 से किमी 45+855 (मौजूदा एन एच-38 के किमी 99/920 से एन एच-383विस्तारित के किमी 12/900 तक) तक के चार या अधिक लेन वाले खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 44.947 किमी (सारणी-2) की निवल सड़क लंबाई और 9.080 किमी (0.908 किमी की लंबाई वाले) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाले) (सारणी-3) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर से शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी – 1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत लगाया और वसूला जाने वाला शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजा(ओं) के लिए निर्दिष्ट शुद्ध सड़क लंबाई के लिए शुल्क प्लाजा पर देय होगा, अर्थात:-

सारणी 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है**	**जिस दर पर शुल्क देय है**
तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिला के थिरुपथुर तालुक के ब्राह्मणपट्टी गांव के एनएच-338 के किमी 22+000 (डिज़ाइन चेनेज) पर	**44.947** [60 मीटर से अधिक संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी 3			
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (कि मी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**जिस दर पर शुल्क देय है**
तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिला के थिरुपथुर तालुक के ब्राह्मणपट्टी गांव के एनएच-338 के किमी 22+000 (डिज़ाइन चेनेज) पर	0.908^	9.080	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^विवरण निम्नानुसार हैं: -

चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
(किमी) से	(किमी) तक		
0+394	0+458	ट्रंपेट	0.064
14+710	14+830	बड़ा पुल	0.120
15+864	15+954	बड़ा पुल	0.090
17+524	17+614	बड़ा पुल	0.090
20+305	20+395	बड़ा पुल	0.090
26+073	26+137	फ्लाई ओवर	0.064
35+029	35+329	बड़ा पुल	0.300
37+405	37+495	बड़ा पुल	0.090
		कुल	0.908

3. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष वर्ष 2026-27 के लिए 350/-रूपए (तीन सौ पचास रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

सारणी – 4		
देय राशि	अधिकतम संख्या एक अनुमत यात्रा मार्ग	वैधता की अवधि
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क राशि की दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीने

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10के विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. उपर्युक्त सारणी– 1 यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007 – 2008 के लिए प्रति कि.मी .शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अँग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1085.41 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. परियोजना-26016(32)/1/2024-पीआईयू मदुरै/ई- 243819]
चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

S.O. 3571(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways [number S.O.No. 2963 (E) dated 9th June 2026], issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the entire NH-338 and 383 in the State of TamilNadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred, to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 44.947Km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 9.080 Km (having length 0.908Km) (Table-3) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four or more lane of Melur– Thirupattur -Karaikudi section from design Km.0+000 to Km.45+855 of National Highways number 338,36,383 (existing km.99/920 of NH-38 to Km.12/900 of NH-383Ext.) in the State of Tamil Nadu and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee namely:-

Table 1

Type of Vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Table 2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length (in Km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km 22+000 (Design Chainage) of NH-338 at Brahmanapatti Village, Thirupathur Taluk, Sivagangai District, State of Tamil Nadu	44.947 (Excluding length of Structures more than 60m)	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 3			
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km 22+000 (Design Chainage) of NH-338 at Brahmanapatti Village, Thirupathur Taluk, Sivagangai District, State of Tamil Nadu	0.908^	9.080	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under

Chainage		**Type of Structure**	**Length (Km)**
From (Km)	**To (Km)**		
0+394	0+458	Trumpet	0.064
14+710	14+830	Major Bridge	0.120
15+864	15+954	Major Bridge	0.090
17+524	17+614	Major Bridge	0.090
20+305	20+395	Major Bridge	0.090
26+073	26+137	Fly Over	0.064
35+029	35+329	Major Bridge	0.300
37+405	37+495	Major Bridge	0.090
		Total	**0.908**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.350.00 (Rupees Three Hundred Fifty Only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table 4		
Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said rules.

9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-I above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rs.1085.41 Cr. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PROJ-26016(32)/1/2024-PIU Madurai/E-243819]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.04 21:16:26 +05'30'